न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान भंवरलाल आदि बनाम शिवनारायण आदि

वाद संख्या 54 वर्ष 2021

निर्णय दिनांक :— 28.11.2025

1. भंवरलाल पुत्र डूंगरराम उम्र 46 वर्ष जाति जाट निवासी भलाऊ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू
2. मोहनलाल पुत्र डूंगरराम उम्र 61 वर्ष जाति जाट निवासी भलाऊ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू
3. हरचन्द पुत्र डूंगरराम उम्र 65 वर्ष जाति जाट निवासी भलाऊ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1. शिवनारायण पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवासी भलाऊ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू
3. शाखा प्रबन्धक जरिये मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा तारानगर जिला चूरू (राज.)
4. शाखा प्रबन्धक जरिये मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तारानगर जिला चूरू (राज.)
5. शाखा प्रबन्धक जरिये मैनेजर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा तारानगर (चूरू)

प्रतिवादीगण

दावा खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कारश्तकारी अधिनियम व धारा 5 राज. उपनिवेशन अधिनियम हर प्रकार के साक्ष्यों के आधार पर

उपस्थिति :—

1. श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ एडवोकेट वास्ते वादीगण सं. 01 व 03।
2. श्री केदारमल स्वामी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी सं. 1।
3. राजपैरोकार तहसीलदार तारानगर वास्ते प्रतिवादी संख्या 2।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर

—:निर्णय:—

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषिभूमि ख. नं. 149 तादादी 1.8715 हेक्टयर, ख. नं. 150 तादादी 13.7325 हेक्टयर, ख. नं. 55 तादादी 12.4680 हैक्ट., ख. नं. 788/144 तादादी 3.8314 हैक्ट., ख.नं. 81 तादादी 6.1581 हैक्ट कुल तादादी 38.0615 हैक्ट. रोही मौजा भलाउ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है यही वादगत कृषिभूमि है। वादीगण भाई बंटवारे में अपने हिस्से पांति में आई हुई कृषिभूमि पर काबिज होकर काश्तकर अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। जिसके वादीगण सहखातेदार व सह कृषक है उक्त कृषिभूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के पिता डूंगरराम द्वारा मौखिक बंटवारानामा कर दी गई है जो जमाबंदी में दर्शाई गई खसराजात की कृषिभूमि में अपने—अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार है। उपरोक्त वादगत आराजी में वादीगण 1/4 — 1/4 हिस्सा की कृषिभूमि के सहखातेदार व काश्तकार है तथा अपना हिस्सा काश्त भी करते है लेकिन खाता मुश्तरका (संयुक्त) होने से पक्षकारान के बीच भूमि काश्त के समय आसा पासा व किस्म को लेकर विवाद रहता है जिससे वादीगण अपना—अपना हिस्सा अच्छी तरह काश्त नहीं कर पाते है इसलिए वादीगण जो हिस्सा काश्त करते है उक्त अपने अपने हिस्से का खाता अलग से विभाजित करवाकर राजस्व रिकार्ड अलग से कायम करवाना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा तथा अन्य लोगों से भी कहलवाया कि वे वर्णित भूमि में वादीगण का 1/4 — 1/4 हिस्सा की कृषिभूमि का खाता अलग से विभाजित करवा कर राजस्व रिकार्ड अलग से कायम करवा देवें तो वे दिनांक 19.04.2021 को बमुकाम भलाऊ टिब्बा तहसील तारानगर में ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये इसलिए यही तारीख वाद कारण है तथा वादाधार वादीगण को वादगत

Rajendra

कृषिभूमि में सहखातेदार होने से प्राप्त है। विवादित कृषिभूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिये अदालत हाजा को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। विवादित आराजी की लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार है। उसके प्रतिनिधि तहसीलदार तारानगर को प्रतिवादी नं. 2 बनाया गया है। विवादित आराजी में वादीगण सं. 2 व 3 तथा प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 ता 5 के रहन है। इसलिए प्रतिवादी नं. 3 ता 5 को उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

अन्त में ख. नं. 149 तादादी 1–8715 हेक्टयर, ख. नं. 150 तादादी 13.7325 हेक्टयर, ख. नं. 55 तादादी 12.4680 हेक्टयर, ख. नं. 788/144 तादादी 3.8314 हेक्टयर, ख. नं. 81 तादादी 6.1581 हेक्टयर कुल तादादी 38.0615 हेक्टयर रोही मौजा भलाऊ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू में वादीगण के 1/4 – 1/4 हिस्सा की कृषिभूमि का खाता बाई मिट्स एण्ड बाऊंडस् से अलग से विभाजित किया जाकर उस पर वादीगण को अलग से काबिज करवाये जाने का निवेदन किया।

वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री केदारमल स्वामी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। वकील प्रतिवादी सं0 01 ने जबाव दावा मय काउंटर क्लेम पेश किया कि वादीगण का भाई बंटवारों के अनुसार काबिज होना व पारिवारिक बंटवारा के अनुसार ही प्रतिवादी का काबिज होना व वादीगण के पिता डूंगरराम ने वादीगण एवं प्रतिवादी को बंटवारा करके कृषिभूमि देनी स्वीकार किया। वादीगण का 1/4 – 1/4 हिस्से की कृषिभूमि के सहखातेदार होना स्वीकार नही होना व राजस्व रिकार्ड में अंकन गलत होने के कारण तथ्यों को अस्वीकार किया जाता है। वकील प्रतिवादी ने काउंटर क्लेम में तथ्य पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 की सहमति के आधार पर किया गया था। बंटवारानामा के मुताबिक प्रतिवादी शिवनारायण के हक में 2.10 बीघा कृषिभूमि यानि 0.6323 हेक्टेयर, 1/4 डिस्से के अलावा ज्यादा दी थी। क्योंकि प्रतिवादी की कृषिभूमि ऊबड़ खाबड़ एवं टीलों की होने के कारण पारीवारिक बंटवारा के अनुसार 1/4 हिस्सा यानि 9.5154 हेक्टेयर एवं 2.10 बीघा (0. 6323) हेक्टेयर कुल 10.1477 हेक्टेयर काश्तकार चला आ रहा है। पारीवारिक बंटवारा जुबानी तौर पर वादीगण एवं प्रतिवादी की सहमति से हुआ था, अब वादीगण अपने इकरार से पाबंद (एसटोप्ल) है। प्रतिवादी सं. 1 पारीवारिक बंटवारानामा के अनुसार अपने हक एवं हिस्से के अनुसार खाता दुरूस्त कराने का अधिकारी है। इसी कारण प्रतिवादी को अपने हक घोषित कराने हेतु यह घोषणात्मक का काउन्टर क्लेम इस आशय का पेश करना पड़ रहा है कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे एवं घोषित किया जावे कि काउंटर क्लेम की धारा नं. 11 में लिखित कृषिभूमि में से प्रतिवादी 10.1477 हैक्ट का खातेदार काश्तकार है। वादीगण एवं प्रतिवादी स्वयं दिनांक 16.07.2025 को उपस्थित हुये और राजीनामा पेश किया और बरूवे राजीनामा दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया। वाद पत्र का कोई खण्डन पेश नही हुआ है अतः तनकी कायम करने की आवश्यकता नही है। तहसीलदार प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित आयें और राज्यहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया।

वकील वादीगण एवं प्रतिवादी ने मुताबिक राजीनामा दावा अंतिम रूप से डिक्री करने का निवेदन किया। वकील उभयपक्षकारान को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वाद में प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादी का वाद पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता है। अतः वाद वादी बरूवे राजीनामा अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी बरूये राजीनामा अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा विवादित कृषिभूमि ख. नं. 149 तादादी 1.8715 हेक्टयर, ख. नं. 150 तादादी 13.7325 हेक्टयर, ख. नं. 55 तादादी 12.4680 हैक्ट., ख. नं. 788/144 तादादी 3.8314 हैक्ट., ख.नं. 81 तादादी 6.1581 हैक्ट कुल तादादी 38.0615 हैक्ट. रोही मौजा भलाउ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू का खाता विभाजन बरूये विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार किया जाता है:–

(1)भंवरलाल पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवासी भलाऊ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू के हक एवं हिस्से में खसरा नं. 81 मीन तादादी 1.5395 हेक्टेयर, खसरां नं. 55 मीन तादादी 3.1170 हेक्टेयर,

Rajendra

खसरा नं. 150 में से 4.0125 हेक्टेयर, खसरा नं. 149 में से 0.8475 हेक्टेयर रोही मौजा भलाउ टिब्बा तहसील तारानगर जो नक्शे में बरंग हरा से दिखाई गई है वह हक व हिस्से में रहेगी।

(2)मोहनलाल पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवासी भलाऊ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू खसरा नं. 81 मीन तादादी 1.5395 हेक्टेयर, खसरा नं. 55 मीन तादादी 2.7376 हेक्टेयर, खसरा नं. 788/144 तादादी 3.8314 हेक्टेयर, खसरा नं. 149 मीन तादादी 1.0243 हेक्टेयर रोही मौजा भलाउ टिब्बा तहसील तारानगर जो नक्शे में बरंग नीला से दिखाई गई है वह हक व हिस्से में रहेगी।

(3)हरचन्द पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवासी भलाउ टिब्बा तहसील तारानगर के हक हिस्से में खसरा नं. 150 मीन तादादी 4.8600 हेक्टेयर, खसरा नं. 55 मीन तादादी 3. 1170 हेक्टेयर, खसरा नं. 81 मीन तादादी 1.5395 हेक्टेयर रोही मौजा भलाउ टिब्बा तहसील तारानगर जो नक्शे में बरंग लाल से दिखाई गई है हक हिस्से में रहेगी।

(4)शिवनारायण पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवासी भलाउ टिब्बा तहसील तारानगर के हक हिस्से में खसरा नं. 81 मीन तादादी 1.5396 हेक्टेयर, खसरा नं. 150 मीन तादादी 4. 8600 हेक्टेयर, खसरा नं. 55 मीन तादादी 3.4964 हेक्टेयर रोही मौजा भलाउ टिब्बा तहसील तारानगर जो नक्शे में बरंग सलेटी से दिखाई गई है हक हिस्से में रहेगी।

(5)जिन खातेदारों की भूमि बैंक रहन है वह यथावत बैंक रहन रहेगी। राजीनामा व इसके साथ प्रस्तुत नक्शा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

Rajender
(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 28/11/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Rajender
(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)